212 88

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म०प्र०)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs. 201 —

624 / 22.10.13

होरिल सिंह पिता तिलकराज सिंह, ग्राम–अंतरैला, तहसील मझौली जिला सीधी (म०प्र०)

.... *निगरानीकर्ता*

R-4238-II/13

बनाम

1. मालती पति नागेन्द्र कुमार सिंह, साकिन गजरी, हाल मुकाम अंतरैला तहसील मझौली जिला सीधी (म०प्र०)

2. मध्यप्रदेश शासन

.................*गैरनिगरानानीकर्तागण*

अधि० श्री हेमकुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि. 22.10.13

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी के प्र0क0 462/निग0/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.09.13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1– यह कि आ0 नं0, 80, 84, 85, 86, 87, 88 ग्राम अंतरैला तह0 मझौली में स्थित है। उक्त आराजियों का पुराना नंबर 169 रकवा 2.07 ए0 था। आ0नं0 88 रकवा 0.37 हे0 भूमि निगरानीकर्ता के बडे भाई राजकुमार सिंह के नाम थी जो हिस्साबांट में निगरानीकर्ता को प्राप्त हुई थीं उसी भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा पानी पीने के उद्देश्य एवं हल्की सिंचाई के उद्देश्य से कुंए का निर्माण किया जाने लगा। कुंआ बंधाई के समय गैर निगरानीकर्ता ने रंजिशन वश तहसील न्यायालय मझौली के समक्ष आराजी नंबर 89 रकवा 1.23 हे0 के सीमांकन बावत् आवेदन पेश किया जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा वगैर सीमांकन के ही निगरानीकर्ता के विरुद्ध स्थगन का आदेश तहसील न्यायालय द्वारा दे दिया गया।

2– यह कि निगरानीकर्ता को जब स्थगन की जानकारी हुई तब वह न्यायालय के समक्ष स्थगन निरस्त करने बावत् आवेदन पेश किया और यह बताया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन अभी नहीं कराया गया है। बिना

(83)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.4238-II/13 जिला– सीधी

हरिल सिंह विरूद्ध मालती सिंह

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री हेम कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 462/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30.09.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~निगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन अभी नहीं कराया गया है। बिना~~